न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : /2021 आदेश दिनांक:– 08.09.2021

अनुवानी

स्व.हीरसिंह जरिये हनुमानसिंह आदि बनाम फूलाराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपस्थित:– 1. श्री बजरंगलाल शर्मा अभिभाषक वादी/प्रार्थी

आदेश प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का दावा सं. 43/1999 हीरसिंह बनाम फूलाराम वगैरह में नियमित कार्यवाही आरम्भ करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा सं. 43/1999 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2007 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.20018 को पेश किया जिस पर विविध प्रकरण संख्या 04/2008 दर्ज किया गया जो मुताबिक प्रार्थीगण दिनांक 28.07.2008 को विविध प्रार्थना पत्र सं. 04/2008 पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत स्वीकार किया गया तथा विविध प्रार्थना पत्र सं. 04/2008 की पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न करने का आदेश पारित किया गया। मगर सहवन से विविध प्रकरण सं. 04/2008 की पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 20.01.2010 तक अंकित की जाती रही, उसके बाद अदालत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मूल दावे की पत्रावली सं. 43/1999 के साथ विविध पत्रावली सं. 04/2008 संलग्न होने के बावजूद भी मूल दावे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुताबिक प्रार्थीगण वादी हीरसिंह का लम्बी बीमारी से दिनांक 23.02.2013 को निधन हो गया। प्रार्थीगण वादी के विधिक वारिसान हैं जिन्होंने दिनांक 29.07.2021 को दावा संख्या 43/1999 की जानकारी ली एवं दिनांक 30.07.2021 को मूल दावा संख्या 43/1999 एवं प्रकरण संख्या 04/2008 की प्रमाणित प्रति समस्त आदेशिकाओं सहित प्राप्त की इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया है कि वादी स्व. हीरसिंह की मृत्यु दिनांक 23.02.2013 को हो चुकी है एवं वादी के पुत्र की मृत्यु दिनांक 25.11.2016 को हो चुकी है। प्रार्थीगण ने मूल दावे पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल दावा संख्या 43/1999 की पत्रावली को तारीख पेशी में लिया जाकर नियमित कार्यवाही आरम्भ करवाने का अनुतोष प्रार्थना पत्र में चाहा है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, मूल दावा पत्रावली सं. 43/1999 एवं विविध पत्रावली सं. 04/2008 का गहनता से अवलोकन किया। जहां तक प्रश्न विविध पत्रावली सं. 04/2008 में आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का है, दिनांक 28.07.2008 की आदेशिका में उल्लेख है कि "[illegible] दावा रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाता है। दावा पुनः रेस्टोर कर दर्ज हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]कर नम्बर से कम हो व दावे के साथ पत्रावली संलग्न रहे।" अतः [illegible] .07.2008 को रिस्टोर किया जा चुका जो कि पत्रावली के अव[illegible] का कहना है कि दि[illegible].07.2008 को दावा रिस्टोर होने के बावजूद भी मूल पत्रावली सं. [illegible]/1999 में कोई आदेशिक[illegible] लिखी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह तथ्य भी दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है। मुताबिक प्रार्थीगण वादी का दिनांक 23.02.2013 को लम्बी बीमारी से देहान्त हो गया। प्रार्थीगण यह स्पष्ट करके नहीं आये कि दावा रिस्टोर होने की दिनांक 28.07.2008 से वादी की मृत्यु की दिनांक 23.02.2013 तक वादी हीरसिंह एवं उसके अधिवक्ता द्वारा लगभग 4½ वर्ष तक न्यायालय में वाद संचालन का प्रयास क्यों नहीं किया एवं 4½ साल में उनके द्वारा प्रकरण संख्या 43/1999 से सम्बन्धित जानकारी क्यों प्राप्त नहीं की गई। प्रार्थीगण, जो स्वयं को वादी के विधिक वारिस बता कर आये हैं, दावा रिस्टोर होने की दिनांक 28.07.2008 से लगभग 13 वर्ष बाद एवं वादी की मृत्यु के लगभग 7 वर्ष पश्चात् उन्होंने प्रकरण सं. 43/1999 में विधिवत कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण यह स्पष्ट नहीं करके आये कि उनको न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/1999 की जानकारी प्रारम्भ से ही थी या अन्य किसी प्रकार से मिली है। अगर प्रारम्भ से प्रकरण की जानकारी थी तो उनके द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक वादी के स्थान पर पक्षकार संयोजित होने का एवं वाद संचालन का प्रयास क्यों नहीं किया गया। वादी की मृत्यु दिनांक 23.02.2013 को हो जाने एवं वादी के स्थान पर निर्धारित अवधि में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से वाद आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत स्वतः ही abate की श्रेणी में आ जाता है।

The purpose of sec. 151 of CPC is to save inherent power of court. धारा 151 सी.पी.सी. में प्रावधान है कि "धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता – न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति – इस संहिता की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को परिसीमित अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हैं।" प्रश्नगत प्रकरण में वादी, जिसके द्वारा 4½ वर्ष तक वाद संचालन का प्रयास नहीं किया गया एवं प्रार्थीगण, जो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी तक नहीं रखते एवं बिना किसी वाजिब कारण के प्रकरण के रिस्टोर होने की दिनांक 28.07.2008 से लगभग 13 वर्ष बाद पत्रावली सं. 43/1999 में कार्यवाही का अनुरोध करते हैं, उनको न्यायालय अपने हितों की रक्षा के प्रति लापरवाह मानता है एवं न्यायालय ऐसे पक्षकारों से कोई सहानुभूति नहीं रखता। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में न्यायालय की आदेशिका का दुरूपयोग निवारण होने के स्थान पर दुरूपयोग बढ़ेगा। वादी की मृत्यु दिनांक 23.02.2013 को हो जाने एवं वादी के विधिक प्रतिनिधियों को दावा में वादी के स्थान पर निर्धारित अवधि में पक्षकार संयोजित नहीं किया जाने से दावा स्वतः ही abate होने की श्रेणी में आ चुका है। इसलिए दावा abate की श्रेणी में आने से भी धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिस्टोर होने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली संख्या 43/1999 को पुनः तारीख पेशी पर लेने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण नये सिरे से दावा लाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:23 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू